वित्त मंत्रित्व

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के अधिकारियों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में दो दिनों के भीतर दो अभियानों में 6,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए।

पीआईबी दिल्ली द्वारा 10 जनवरी 2024 को शाम 6:29 बजे प्रकाशित।

नशीली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), नीमच के अधिकारियों ने 07.1.2024 को उदयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग, गंगरार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में श्री देव नारायण भोजनालय के पास एक महिंद्रा ट्रेलर ट्रक को रोका और उसमें से 5,057.300 किलोग्राम वजन के अफीम के भूसे (डोडा चूरा) के 267 प्लास्टिक बैग जब्त किए (जिसमें 824.200 किलोग्राम वजन के सीपीएस (कंसंट्रेटेड/अनलैंस्ड पोस्त का भूसा) के 55 बैग शामिल हैं)।

राजस्थान पंजीकरण संख्या वाले महिंद्रा ट्रेलर ट्रक में भारी मात्रा में अफीम का भूसा (डोडा चूरा) ले जाने की सूचना मिलने के बाद, सीबीएन नीमच के अधिकारियों की एक टीम का गठन किया गया और 07.1.2024 को भेजा गया। संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी के बाद, सीबीएन अधिकारियों ने उदयपुर-भीलवाड़ा राजमार्ग पर स्थित श्री देव नारायण भोजनालय, गंगरार, चित्तौड़गढ़ के पास वाहन की सफलतापूर्वक पहचान कर उसे रोक लिया।

ट्रक में अफीम के भूसे को छिपाने के लिए 120 बोरी पशु आहार की कवर कार्गो के रूप में रखी गई थी। सीबीएन कार्यालय में ट्रक की गहन तलाशी ली गई और कुल 267 प्लास्टिक बोरियों में भरा अफीम का भूसा बरामद किया गया, जिसका वजन 5057.300 किलोग्राम था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, बरामद अफीम के भूसे, पशु आहार और ट्रेलर को जब्त कर लिया गया और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

अफीम की भूसी की तस्करी के एक अन्य मामले में, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों ने डीएनसी कार्यालय नीमच के सहयोग से मंदसौर जिले (मध्य प्रदेश) के पिपलिया मंडी पुलिस स्टेशन के ढाकड़ी गांव में एक घर पर 06.01.24 को छापा मारा और 57 प्लास्टिक बैग में

1131.900 किलोग्राम अफीम की भूसी बरामद की। घर के मालिक ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क सीबीएन अधिकारियों ने उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, बरामद अफीम की भूसी को जब्त कर लिया गया और एक व्यक्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

तस्करी के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (एमपी यूनिट) के लिए वर्ष 2023 सबसे सफल वर्षों में से एक रहा है।

वर्ष 2023 में, रिकॉर्ड तोड़ मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाए गए, जिनमें 116 जब्ती के मामले शामिल थे, जिनमें 150 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 87 वाहन जब्त किए गए।

अलग-अलग और अनोखे तौर-तरीकों का भंडाफोड़ किया गया। कुल मिलाकर लगभग **70 टन नशीले पदार्थ जब्त किए गए,** जिनमें अफीम, हेरोइन, गांजा, एमडी पाउडर, कोडीन फॉस्फेट सिरप आदि शामिल हैं। **यह केंद्रीय सरकारी एजेंसी (सीबीएन) के इतिहास में एक वर्ष में जब्त किए गए मामलों की सबसे अधिक संख्या है** । इन अभियानों के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये नकद भी जब्त किए गए। इन कई कार्रवाइयों के दौरान तेज रफ्तार से पीछा करने के दौरान सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए और गोलीबारी की कई घटनाएं हुईं।

भारत में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अफीम पोस्त की फसल को नष्ट करने का अभियान, यानी **"प्रहार"** चलाया गया, जिसमें प्रतिकूल भूभाग और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश (8,501 हेक्टेयर) और मणिपुर (1,825 हेक्टेयर) राज्यों में **10,326 हेक्टेयर (25,526 एकड़)** अवैध अफीम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया ।

हिमाचल प्रदेश में "शक्ति" अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्रीय संचार आयोग (सीबीएन) के अधिकारियों द्वारा **1,124 हेक्टेयर (2,777 एकड़)** अवैध गांजा की फसल को नष्ट कर दिया गया। यह हिमाचल प्रदेश में सीबीएन द्वारा चलाया गया अवैध गांजा नष्ट करने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान था।

मादक पदार्थों के खिलाफ अभियानों के साथ-साथ जब्त की गई दवाओं के निपटान को भी प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप 86 मामलों में जब्त की गई **104 टन** से अधिक प्रतिबंधित दवाओं का निपटान किया गया, जो केंद्रीय ब्यूरो ऑफ नेशंस (सीबीएन) के इतिहास में सबसे अधिक है। निपटाई गई दवाओं में अफीम, हेरोइन, गांजा, एमडी पाउडर, कोडीन फॉस्फेट सिरप और लाखों विभिन्न प्रकार की मनोरोगी गोलियां आदि शामिल थीं।

****

एनबी/वीएम/केएमएन

(रिलीज़ आईडी: 1994925) आगंतुक संख्या: 3469
इस रिलीज़ को तेलुगु , उर्दू , हिंदी में पढ़ें